


राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर  
नोटिस

दिनांक: 22.02.17

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/ अधीनस्थ न्यायालयों से सेवानिवृत्त इच्छुक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से राजस्थान सेवा नियम 164-A में प्रावधान के तहत आवेदन आमन्त्रित किये जाते हैं।


राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/ अधीनस्थ न्यायालयों से सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/ जयपुर पीठ, जयपुर में उक्त प्रावधान के तहत कार्य करने के इच्छुक हैं वे अपना आवेदन संलग्न प्रपत्र में वांछित सूचना के साथ रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के कार्यालय समय में व्यक्तिश या डाक द्वारा उक्त नोटिस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

  
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

क्रमांक: आई/ए(iii)(ए)(1)05/2016/529 दिनांक : 22.02.17

प्रलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. समस्त रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/ जयपुर पीठ, जयपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान
3. समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजस्थान
4. न्यायालय अधिकारी, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/ जयपुर पीठ, जयपुर।
5. कम्प्युटर सैल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/ जयपुर पीठ, जयपुर को इस निर्देश के साथ कि उक्त नोटिस उच्च न्यायालय के website पर तुरन्त अपलोड करें।
6. नोटिस बोर्ड, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/ जयपुर पीठ, जयपुर।

  
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

राज्य सरकार से सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की संविदा पुनर्नियुक्ति सेवा में अभिवृद्धि हेतु प्रस्ताव भेजने के लिए निर्धारित प्रपत्र

विभाग/कार्यालय:\_\_\_\_\_

सेवा का नाम:\_\_\_\_\_

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी का नाम :\_\_\_\_\_
2. सेवा का नाम, जिससे संबंधित है :\_\_\_\_\_
3. जन्म तिथि और अंतिम आहरित वेतन :\_\_\_\_\_
4. अधिवार्षिकी की आयु प्राप्त करने की तारीख :\_\_\_\_\_
5. मूल विभाग का नाम :\_\_\_\_\_
6. सेवानिवृत्ति के समय धारित पद:\_\_\_\_\_
7. धारित पद का वेतनमान:\_\_\_\_\_
- (सेवानिवृत्ति के समय)
- 8 अनुभव :\_\_\_\_\_
9. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन (रनिंग पे बैंड वेतन + ग्रेड पे)  
(एलपीसी संलग्न है) :\_\_\_\_\_
- 10 मूल पेंशन राशि (पीपीओ की प्रति) :\_\_\_\_\_
- 11 सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी की जिस रिक्त पद के विरुद्ध संविदा पर सेवाएं ली जानी है, उस पद के रिक्त रहने एवं नियमानुसार भरे जाने में विलम्ब के कारण :\_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
12. सेवानिवृत्त कार्मिक की रिक्त पद/पदों के विरुद्ध संविदा पुनर्नियुक्ति से किसी अन्य कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा अथवा नहीं ? तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट करें।:\_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- 13 स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण :\_\_\_\_\_
- 14 भर्ती का तरीका(सीधी भर्ती या पदोन्नति) :\_\_\_\_\_
- यदि पदोन्नति द्वारा :-  
(1) अंतिम नियमित चयन कब किया गया था ?\_\_\_\_\_
- (2) पदोन्नति के लिए पात्र वरिष्ठतम व्यक्ति उपलब्ध है या नहीं ?\_\_\_\_\_
- (3) नियमित चयन के लम्बित रहने के दौरान पदोन्नति के लिए पात्र वरिष्ठतम व्यक्तियों में से कुछ स्थापन्न नियुक्ति संभव है या नहीं ?\_\_\_\_\_
- 15 रिक्त पद के विरुद्ध संविदा पर सेवाएं कब से ली जानी प्रारम्भ की गई (आदेश की प्रति संलग्न) तथा इस संविदा सेवा को कब से कब तक बढ़ाया गया ? (आदेश की प्रति संलग्न)\_\_\_\_\_
16. वह कालावधि जिसके लिए संविदा सेवाओं में अभिवृद्धि की जानी है। :\_\_\_\_\_
17. संविदा सेवाओं में अभिवृद्धि का विस्तृत औचित्य :\_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर

सक्षम/नियुक्ति प्राधिकारी मय सील